UPJS010040552020

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।
उपस्थित - -श्री विमल प्रकाश आर्य (एच०जे०एस०)
J O Code- UP6488
क्रिमिलन रिवीजन सं०- 87/ 2020
CNR No. - UPJS01- 004055- 2020

कालका उम्र 49 वर्ष लगभग पुत्र स्व० श्री छत्ते प्रजापति नि० ग्राम धवारी थाना उल्दन जिला झांसी।

-- प्रार्थी/ रिवीजनकर्ती

बनाम

1. उ० प्र० राज्य
2. श्रीमती हीरा देवी पत्नी स्व० श्री प्रभुदयाल
3. श्रीमती शांति देवी पत्नी मुकेश
4. मुकेश पुत्र श्री चन्ने प्रजापति
5. चन्दन पुत्र श्री बद्री राजपूत

निवासीगण ग्राम चढ़रऊ धवारी थाना उल्दन जिला झांसी। **—- - विपक्षीगण**

अन्तर्गत धारा- 397 दं०प्र०सं०
थाना उल्दन, जिला झांसी।

निर्णय

निगरानीकर्ता कालका द्वारा यह निगरानी न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झांसी द्वारा विविध दाण्डिक वाद सं०- 259/ 2015 छत्ते प्रजापति बनाम मीरा देवी आदि धारा- 302, 201, 120B, 34 IPC में पारित आदेश दिनांक- 02. 09. 2020 से क्षुब्ध होकर निम्न आधारों पर संस्थित की गयी है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक- 02. 09. 2020 विधि विरूद्ध होने के कारण हर हाल में निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का परिशीलन/ अवलोकन किये बिना एफ०आर० स्वीकार करने का आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण हर हाल में निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली के वादी छत्ते प्रजापति की दिनांक- 05. 12. 2015 को मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी आख्या अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। रिवीजनकर्ता को एफ०आर० जानकारी होते ही रिवीजनकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक- 16. 08. 2016 को प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की थी, जिसके पश्चात किसी न किसी वजह से उक्त प्रोटेस्ट पिटीशन की सुनवाई न हो सकी थी। रिवीजनकर्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पिटीशन का निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया जाना था, जिसको दरकिनार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है तथा काबिल निरस्त है। अधीनस्थ न्यायालय का विधि विरूद्ध आदेश निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि रिवीजनकर्ता का रिवीजन स्वीकार कर अधीनस्थ

न्यायालय का आदेश दिनांक- 02. 09. 2020 को निरस्त किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया है।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता व विपक्षी सं०- 1की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा विपक्षी सं०- 2 लगायत 5 के विद्वान अधिवक्ता की मौखिक आपत्ति पर सुना व पत्रावली तथा तलबशुदा पत्रावली एफ०आर० प्रकीर्ण नं०- 259/ 2017 छत्ते प्रजापति बनाम श्रीमती हीरा देवी आदि का अवलोकन किया।

निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये बिना अंतिम आख्या स्वीकार कर ली। पत्रावली के वादी छत्ते प्रजापति की दिनांक- 05. 12. 2015 को मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी आख्या अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। निगरानीकर्ता को अंतिम आख्या की जानकारी होती है उसने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक- 16. 08. 2016 को प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल किया और जिसके पश्चात किसी- न- किसी वजह से प्रोटेस्ट पिटीशन की सुनवायी नहीं हो सकी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रोटेस्ट पिटीशन को दरकिनार कर आदेश पारित किया।

तलबशुदा पत्रावली एफ०आर० प्रकीर्ण नं०- 259/ 2017 छत्ते प्रजापति बनाम श्रीमती हीरा देवी आदि का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उक्त पत्रावली में प्रार्थी कालका प्रसाद पुत्र स्व० छत्ते प्रजापति ने दिनांक- 25. 01. 2016 को प्रार्थनापत्र 13B/ 1 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी छत्ते प्रजापति की दिनांक- 05. 12. 2015 को मृत्यु हो चुकी है और वह उनका पुत्र है। इस घटना की रिपोर्ट उसके पिता ने की थी और दौरान विवेचना विवेचक ने प्रार्थी व उसके पिता छत्ते प्रजापति व परिवार के अन्य लोगों के बयान सही नहीं लिये थे और मुल्जिम से मिलकर गलत बयान लेकर एफ०आर० लगा दी जो पूर्णतः गलत व गैर कानूनी है। प्रार्थी मृतक प्रभु दयाल का सगा छोटा भाई है और इस मुकदमे का वादी छत्ते का पुत्र है और वह अपने पिता का मुकदमा चलाना चाहता है और अगली तिथि पर प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र दाखिल करेगा। प्रार्थनापत्र के साथ पहचान पत्र की छायाप्रति व छत्ते का मृत्यु प्रमाणपत्र दाखिल करने और प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल किये जाने हेतु अगली तिथि प्रदान किये जाने का निवेदन किया। इस प्रार्थनापत्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा नियत तिथि तक मृतक की मृत्यु आख्या मंगाये जाने का आदेश हुआ। प्रार्थनापत्र 13B/ 2 मृतक छत्ते की मृत्यु के प्रमाणपत्र की छायाप्रति है व कागज सं०- 13B/ 3 कालका के पहचान पत्र की छायाप्रति, कागज सं०- 13B/ 4 वकालतनामा दिनांकित- 25. 01. 2016, कागज सं०- 13B/ 5 शपथपत्र दिनांकित- 16. 08. 2016, प्रोटेस्ट पिटीशन कागज सं०- 13B/ 6 लगायत 13B/ 7, वकालतनामा 13B/ 8 व 13B/ 9, कागज सं०- 14B/ 1 लगायत 14B/ 3 छत्ते की मृत्यु आख्या व प्रमाणपत्र मूल पत्रावली पर संलग्न हैं। मूल पत्रावली के आदेश दिनांकित- 16. 08. 2016 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि इस तिथि पर वादी की ओर से कालका प्रसाद द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल होने का उल्लेख है और पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि दिनांक- 28. 03. 2016 से आदेश पत्र पर कालका प्रसाद निरंतर हस्ताक्षर भी कर रहा है।

न्यायालय के आदेश दिनांक- 02. 09. 2020 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि पत्रावली सुनवायी हेतु नियत है। वादी मुकदमा को नोटिस प्रेषित किया गया। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार वादी मुकदमा की मृत्यु हो चुकी है। वादी मुकदमा द्वारा आज की तिथि तक कोई प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है और अंतिम आख्या सं०- 13/ 15 दिनांकित- 02. 07. 2015 निस्तारित करते हुए स्वीकार की गयी।

इस प्रकार अवर न्यायालय के आदेश का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि अवर न्यायालय द्वारा दिनांक- 02. 09. 2020 को आदेश पारित करते हुए पत्रावली का कोई अवलोकन ही नहीं किया गया और अवर न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान ही नही दिया गया कि वादी मुकदमा के पुत्र कालका द्वारा दिनांक- 16. 08. 2016 को प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की जा चुकी है और न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया कि कालका प्रसाद के प्रार्थनापत्र के आधार पर ही छत्ते प्रजापति की मृत्यु आख्या तलब की गयी थी। इसके अतिरिक्त अवर न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि वादी मुकदमा छत्ते प्रजापति द्वारा धारा- 302, 201, 120B व 34 IPC के अंतर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया था और ऐसे गंभीर मामले में यदि प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल नहीं भी की गयी है तब भी न्यायालय को ऐसे गंभीर मामले में सरसरी तौर पर अंतिम आख्या को स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि विवेचक द्वारा की गयी विवेचना की केस डायरी का अवलोकन करने के पश्चात और संतुष्ट होने पर ही नियमानुसार आदेश पारित करना चाहिए जो कि अवर न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। इससे ज्ञात होता है कि अवर न्यायालय द्वारा दिनांक- 02. 09. 2020 को आदेश पारित किये जाने मे विधिक त्रुटि कारित की गयी है और इस प्रकार निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है और अवर न्यायालय का आदेश दिनांकित- 02. 09. 2020 तदनुसार निरस्त किये जाने योग्य है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों व उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झांसी द्वारा आदेश दिनांक- 02. 09. 2020 में विधिक त्रुटि कारित की है और इस प्रकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झांसी का आदेश दिनांक- 02. 09. 2020 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी उपरोक्त कारणों से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता की निगरानी सं०- 87/ 2020 तदनुसार स्वीकार की जाती है। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झांसी का आदेश दिनांक- 02. 09. 2020 तदनुसार निरस्त किया जाता है। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झांसी को आदेशित किया जाता है कि निगरानी में दिये गये निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में एफ०आर० प्रकीर्ण नं०- 259/ 2017 छत्ते प्रजापति बनाम श्रीमती हीरा देवी आदि की पत्रावली में प्रार्थी कालका द्वारा दाखिल प्रोटेस्ट पिटीशन का निस्तारण गुण- दोष के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करें। तलबशुदा पत्रावली नियमानुसार वापस की जाए व उक्त आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। संबंधित लिपिक अनुपालन करें।

दिनांक- 10. 09. 2021

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर सत्र न्यायाधीश(F. T. C.) झांसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके सुनाया गया।

दिनांक- 10. 09. 2021

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर सत्र न्यायाधीश(F. T. C.) झांसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

मोहित कुमार:आशुलिपिक

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाँसी।

विविध दाडिक वाद सं०- 259/ 2015

छत्ते प्रजापति **बनाम** **श्रीमती हीरा देवी आदि।**

दिनांक- 02. 09. 2020

अन्तिम रिपोर्ट की पत्रावली न्यायालय में सुनवायी हेतु प्रस्तुत है। वादी मुकदमा को नोटिस प्रेषित किया गया। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार वादी मुकदमा की मृत्यु हो चुकी है। वादी मुकदमा द्वारा आज की तिथि तक कोई प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः (विविध दाण्डिक वाद सं०- 259/ 2015), मु०अ०सं०- 68/ 15 अन्तर्गत धारा- 302/ 201/ 120- बी/ 34 भा०द०सं०, थाना- उल्दन, जनपद- झाँसी में प्रस्तुत अन्तिम आख्या सं०- 13/ 15 दिनाँकित- 02. 07. 2015 निस्तारित करते हुए स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

02/09/2020

(देवेन्द्र नाथ गोस्वामी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झांसी।